भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **2332**

दिनांक 5 मार्च , 2020 / 15 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

यूएवी/ड्रोन हमले रोकना

2332. **श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर:**

श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण:

श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर मानवरहित हवाई यान (यूएवी)/ड्रोन हमले रोकने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ड्रोन के विनिर्माण और प्रचालन का नियमन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की नीति से निपटने के लिए कोई नोडल विभाग स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) जी हां। सरकार ने महत्वपूर्ण सुरक्षा संस्थापनों पर, ड्रोन हमलों को रोकने के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।
इसके अलावा, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने ड्रोन टेक्नालॉजी से प्रति बचाव /जासूसी निगरानी हेतु समाधान और ड्रोन का अप्रभावीकरण/हवाईअड्डों पर मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) के लिए "मूल अपेक्षाओं तथा तकनीकी विशिष्टता/क्यू आर) से संबंधित एवीएसईसी (Avsec) परिपत्र जारी किया है। इसके अतिरिक्त डीजीसीए की नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार बीसीएएस ने, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (आरपीए) का सिक्योरिटी प्रोग्राम टैंपलेट तैयार किया है तथा देश में मौजूद उप परंपरागत वैमानिक प्लेटफार्म के खतरों के प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) की मानक परिचालन प्रक्रियो (एसओपी) के आधार पर बीसीएएस ने 'उड़ने वाली वस्तु (फ्लाईंग आबजेक्टस) का पता लगने पर नागरिक उड़ान को रोकने की प्रक्रिया पर एक एसओपी तैयार की है।
(ख) वायुयान नियमावली, 1937 में नियम 15क अन्तः स्थापित किया गया है तथा ड्रोनों के निर्माण व परिचालन के विनियमन के लिए डीजीसीए द्वारा नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) जारी की जा चुकी हैं। इसके अलावा, ड्रोनों से संबंधित गतिविधियों के सभी पहलुओं के विनियमन के लिए डिजीटल स्काई प्लेटफार्म लांच किया जा चुका है।
(ग) नागर विमानन मंत्रालय के पर्यवेक्षण में, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ड्रोनों से संबंधित सभी मामलों को देखने के लिए प्रमुख संगठन है।

*****